

विद्यालय के भामाशाह योजना

स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान



CSI-Nihilent eGovernance Awards 2017-18

The Award of Appreciation
under Projects Category
is hereby conferred upon

The Gyan Sankalp Portal

Rajasthan Council of School Education
&
National Informatics Centre, Rajasthan

Dr C V Ramamohan
Awards Convener
CSI Nihilent eGovernance Awards

G S N Prabhu
Convener - CSI SIG eGov

L C Singh
Director and Executive Vice Chairman
Nihilent Ltd.



विद्यालय के भामाशाह योजना

मुख्य बिन्दु :-

1. दानदाताओं / भामाशाहों / औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालयों को एसडीएमसी / एसएमसी के माध्यम से सहयोग पूर्व की भाँति।
2. शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ज्ञान संकल्प पोर्टल व मुख्यमंत्री विद्यादान कोष शामिल।
3. वित्तीय वस्तु व निर्माण कार्य शामिल।
4. दानदाताओं / भामाशाहों / औद्योगिक संस्थाओं हेतु नवीन प्रोत्साहन का श्रेणीवार निर्धारण।
5. विद्यालय नामकरण के नवीन मापदण्ड।
6. प्रेरकों हेतु सम्मान सम्मिलित।
7. वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) अनुसार गणना।
8. प्रोत्साहन मानदण्डों की प्रत्येक 2 वर्ष में समीक्षा।

भामाशाह श्रेणी व प्रोत्साहन (1 / 3)

प्रोत्साहन	5000 रुपये या 25000 रुपये से कम	25000 या अधिक 100000 रुपये तक	1 लाख रुपये से आधिक व 15 लाख रुपये से आधिक व 01 करोड़ रुपये से आधिक	15 लाख रुपये से आधिक व 01 करोड़ रुपये तक	01 करोड़ रुपये से आधिक
उपाधि	शिक्षा मित्र	शिक्षा साथी	शिक्षा श्री	शिक्षा भूषण	शिक्षा विभूषण
विद्यालय में सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित पटिटका पर नाम प्रदर्शन।	✓	✓	✓	✓	✓
वस्तु सहयोग से प्राप्त वस्तु/निर्मित कार्य पर/नाम प्रदर्शन।	✗	✓	✓	✓	✓

भामाशाह श्रेणी व प्रोत्साहन (2 / 3)

प्रोत्साहन	5000 रुपये या 25000 रुपये से कम	25000 या अधिक 100000 रुपये तक	1 लाख रुपये से अधिक व 15 लाख तक	15 लाख रुपये से अधिक व 01 करोड़ रुपये तक	01 करोड़ रुपये से अधिक
उपाधि	शिक्षा मित्र	शिक्षा साथी	शिक्षा श्री	शिक्षा भूषण	शिक्षा विभूषण
शिक्षा विभाग की पत्रिका शिविरा वार्षिक अंक में प्रकाशन।	✗	✓	✓	✓	✓
आगामी जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित।	✗	✗	✓	✗	✗
राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान।	✗	✗	✗	✓	✓

भामाशाह श्रेणी व प्रोत्साहन (3 / 3)

प्रोत्साहन	5000 रुपये या 25000 रुपये से कम	25000 या अधिक 100000 रुपये तक	1 लाख रुपये से अधिक व 15 लाख रुपये से अधिक व 01 करोड़ रुपये से अधिक	15 लाख रुपये से अधिक व 01 करोड़ रुपये तक	01 करोड़ रुपये से अधिक
उपाधि	शिक्षा मित्र	शिक्षा साथी	शिक्षा श्री	शिक्षा भूषण	शिक्षा विभूषण
ज्ञान संकल्प हॉल ऑफ फेम पर संस्थान का नाम प्रदर्शन।	✗	✗	✗	✓	✓
ज्ञान संकल्प पोर्टल फेसबुक पेज पर कवर स्टोरी।	✗	✗	✗	✗	✓

विद्यालय श्रेणीवार नामकरण

विद्यालय में सीधे सहयोग या ज्ञान संकल्प पोर्टल द्वारा सहयोग पर

विद्यालय का प्रकार	सहयोग राशि
राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु	30 लाख रुपये या अधिक
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु	60 लाख रुपये या अधिक
राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु	150 लाख रुपये या अधिक
राजकीय उच माध्यमिक विद्यालय हेतु	200 लाख रुपये या अधिक

विशेष बिन्दु :-

- उपरोक्त में जमीन का मूल्य शामिल नहीं।
- दानदाता का नाम राजकीय शब्द से पूर्व लिखा जा सकेगा। राजकीय शब्द अनिवार्य।

विद्यालय नामकरण प्रक्रिया

विद्यालय में सीधे सहयोग हेतु	ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग हेतु
विद्यालय में कार्य पूर्ण होने पर विद्यालय विकास प्रबंधन समिति / विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदन के पश्चात् प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशक (माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा) को प्रेषित	Create A CSR Project श्रेणी में कार्य पूर्ण होने या पूर्ण प्रोजेक्ट राशि की कार्यकारी संस्था को हस्तान्तरित करने पर, Donate to A School श्रेणी में पूर्ण राशि हस्तान्तरित होने पर, Adopt A School श्रेणी में अनावर्ती व्यय का कार्य पूर्ण होने या पूर्ण राशि हस्तान्तरित होने पर पर सीएसआर प्रकोष्ठ रामाशिप द्वारा राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात् निदेशक (माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा) को प्रेषित
निदेशक (माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा) द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार राज्य सरकार द्वारा नामकरण की स्वीकृति	

प्रेरकों के लिए प्रोत्साहन

प्रेरक श्रेणी—

1. तीस लाख रुपये या इससे अधिक का सहयोग हेतु प्रेरित करने के लिए राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मान
2. पांच लाख रुपये या अधिक एवं तीस लाख रुपये से कम की राशि का सहयोग हेतु प्रेरित करने के लिए जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मान

आवेदन प्रक्रिया—

1. भामाशाह / दानदाता / औद्योगिक संस्थान द्वारा सम्बन्धित शाला प्रधान को लिखित में अवगत करवाये जाने पर एवं संस्था प्रधान द्वारा तथ्य की पुष्टि स्वयं करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को अभिशंषा
2. राज्य स्तरीय आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपनिदेशक के माध्यम से निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा को प्रेषित
2. जिला स्तरीय आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा पर जिला स्कूल सलाहकार समिति को प्रेषित